मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 17-10-2007

क्रमांक एफ 10-101/2001/सत्रह/मेडि-2.— लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश दिनांक 05-01-1985 एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के परिपत्र दिनांक 17-01-1985 के द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड योजना प्रदेश में लागू की गई है, उक्त योजना के अंतर्गत राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक-1434/3819/सत्रह/मेडि-2, दिनांक 6 जुलाई, 1990 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि नसबंदी कराने वाले ग्रीन कार्ड धारकों के बच्चों से चिकित्सा महाविद्यालयों/अभियांत्रिकी महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा।

उक्त योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि :—

(1) ग्रीन कार्ड धारकों के बच्चों को प्रदेश के केवल शासकीय एवं स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ही शिक्षण शुल्क की छूट की पात्रता होगी।

(2) निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत ग्रीन कार्ड धारकों के बच्चों को शिक्षण शुल्क की छूट की पात्रता नहीं होगी।

(3) शासकीय, स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मे शिक्षण शुल्क का लाभ केवल एक बार एक ही डिग्री/पाठ्यक्रम के लिए प्राप्त होगा।

(4) ग्रीनकार्ड की सुविधा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिपत्र दिनांक 13-05-03 के अनुसार केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी।

2. ऐसे ग्रीन कार्ड धारकों को जिनके द्वारा दिनांक 13-5-2003 से पूर्व नसबंदी कराई गई है, को इस आदेश से पूर्व प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप सुविधाएँ प्राप्त होती रहेंगी। दिनांक 13-5-2003 के पश्चात् नसबंदी करने वाले उन्हीं व्यक्तियों को उक्त सुविधाएँ प्राप्त होंगी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों की श्रेणी में आते हैं।

3. समस्त शासकीय एवं स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/अभियांत्रिकी महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उक्त निर्देशों के प्रकाश में स्पष्ट हिदायत दी जाती है कि ग्रीन कार्ड धारक अभिभावकों के बच्चे जो उपरोक्तानुसार शर्तों की पूर्ति करते हैं, से संस्था द्वारा "शैक्षणिक शुल्क" नहीं लिया जाना है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सी.वी. सिंह)
उप सचिव,